

बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
कार्यालय आदेश

पटना दिनांक २२.०१.२०२४

संख्या-अ०सं०क०-०१-०१/२०२४ २५ / सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-२२७१९ दिनांक-१४.१२.२०२३ द्वारा बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली २०२३ के आलोक में दिनांक-२२.०५.२०२३ को प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर उत्कृष्ट खिलाड़ी को नि०व०लि० के पद पर नियुक्ति हुई अनुशंसा विभाग को प्राप्त हुई है। विभागीय कार्यालय आदेश सं०-०९ सह-पठित ज्ञापांक-८६ दिनांक-०५.०१.२०२४ के आलोक में अनुशंसित सुश्री सुल्ताना बानो, नि०व०लि० द्वारा विभाग में दिनांक-०८.०१.२०२४ को योगदान दिया गया है। विभाग में योगदान देने वाले नि०व०लि० की चरित्र, पूर्ववृत्त, शैक्षणिक योग्यता, जन्म तिथि, आरक्षण कोटि प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र की जांच एवं मिलान हेतु एक त्रिदलीय समिति का गठन निम्नरूप से किया जाता है।

जाँच/मिलान समिति
१. श्री अहमद महमुद, संयुक्त सचिव, अध्यक्ष
२. श्री अशोक कुमार दास, सहायक निदेशक, सदस्य
३. श्री सलाह उद्दीन, अवर सचिव, सदस्य

२. प्रस्ताव पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(डा० अमीर आफाक अहमद फैजी)
संयुक्त सचिव-सह-निदेशक

ज्ञापांक: अ०सं०क०-०१-०१/२०२४...../

पटना, दिनांक...../

१. सुश्री सुल्ताना बानो, पिता-मो० मंजुर आलम, ग्राम-पीपरा जगदीश, पोस्ट-लहंग डुमरिया थाना-बिहियार जिला-भोजपुर, राज्य बिहार, पिन कोड-८०२३५१, को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेश है कि गठित जाँच/मिलान समिति के समक्ष निर्धारित तिथि-२३.०१.२०२४ को पूर्वाह्न ११:०० बजे चरित्र प्रमाण पत्र एवं पूर्व वृत्ति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता, जन्म तिथि आरक्षण संबंधी मूल प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र फोटो (०२) के साथ जाँच एवं मिलान हेतु ससमय सरकार के संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय कक्ष में उपस्थित रहेंगे।

ह०/-
संयुक्त सचिव-सह-निदेशक

ज्ञापांक: अ०सं०क०-०१-०१/२०२४...../

पटना, दिनांक...../

प्रतिलिपि:- श्री अहमद महमुद, संयुक्त सचिव/अशोक कुमार दास, सहायक निदेशक/श्री सलाह उद्दीन, अवर सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
संयुक्त सचिव-सह-निदेशक
पटना, दिनांक २२.०१.२०२४

ज्ञापांक: अ०सं०क०-०१-०१/२०२४ २३६ /

प्रतिलिपि:- विभागीय आई०टी०मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि सूचना विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करे।

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक